निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक / लेखा–स्था0 / 14961-62 / एक (ख) (1)विज्ञापन / 2024–25, दिनांक 08 अक्टूबर, 2024

"विज्ञप्ति / नीलामी "

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को अपरान्ह् 01.30 बजे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून में e-waste व निष्प्रयोज्य सामग्री (जनरेटर, कम्प्यूटर, प्रिण्टर, यू0पी0एस0, प्रोजेक्टर एल0सी0डी0, फोटोस्टेट मशीन, मोबाईल फोन फैक्स मशीन, ए0सी0, साईकिल, कुर्सी, मेज माईक सेट ईत्यादि) की नीलामी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा गठित समिति के अधीन की जायेगी।

1. इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी हेतु निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के नाम रू0 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट बयाना / सुरक्षा धनराशि के रूप में दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 अपरान्ह् को 2.00 बजे तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, निर्धारित समय के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. इलेक्ट्रोनिक एवं इलेक्ट्रीकल सामग्री का डिस्पोजल ई–वेस्ट मैनेजमेण्ट नियम, 2016 में वर्णित प्राविधानानुसार पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण बोर्ड देहरादून व देश के अन्य किसी भी राज्य में पंजीकृत ई–वेस्ट **Dismantle**r या **Recycler** के माध्यम से किया जायेगा।
3. नीलामी की विस्तृत शर्तें, आवेदन पत्र, घोषणा पत्र एवं सामान की सूची आदि विभागीय वेवसाईट shooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिन्हे Down Load कर अथवा किसी भी कार्य दिवस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता हैं

(डा0 मुकुल कुमार सती)
अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या / लेखा–स्था0 / 14961-62 / एक (ख) (1)विज्ञापन / 2024–25, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 तक 60 वर्ग सेंमी माप (श्वेत श्याम) में DAVP दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु सूचना विभाग से प्रमाणित करवा कर दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. दैनिक जागरण, देहरादून संस्करण।
2. हिन्दुस्तान (हिन्दी), देहरादून संस्करण।

(डा0 मुकुल कुमार सती)
अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशालय–माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

निष्प्रयोज्य सामग्री व E-Waste नीलामी की शर्ते

नीलामी हेतु बोलीदाताओं पर निम्नलिखित नियम व शर्तें प्रतिपादित होंगी तथा उनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण–पत्र/अभिलेख नीलामी के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

1- निष्प्रयोज्य सामग्री व E-waste की नीलामी दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को अपरान्ह् 01.30 बजे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून में किया जायेगा।

2- आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित अभिलेख जमा कराये जाने होंगे। अभिलेखों का सत्यापन व आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं सही पाये जाने पर ही फर्म/बोलीदाता को बोली में प्रतिभाग करने के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी।

3- सामग्री का विक्रय खुली बोली के आधार पर किया जायेगा।

4- इस अवधि में यदि कोई शासकीय नियमों में परिवर्तन होगा तो तदनुसार संशोधन लागू माना जायेगा।

5- इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी हेतु बोली लगाने के लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के नाम से रू0 5000 (रू0 पांच हजार) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षा धनराशि के रूप कार्यालय में जमा करना होगा।

6- इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी हेतु निर्धारित आवेदन पत्र, घोषणा पत्र भरकर और निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के नाम से उक्त बयाना धनराशि का बैंक ड्राफ्ट दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 अपरान्ह् को 2.00 बजे तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, निर्धारित समय के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7- उच्चतम बोलीदाता को नीलामी मूल्य के 50 प्रतिशत धनराशि को उसी समय कार्यालय में जमा करना होगा तथा अवशेष धनराशि को अनिवार्य रूप से पांच दिन के अन्तर्गत कार्यालय में जमा कर निष्प्रयोज्य सामाग्री को तत्काल उठाना होगा।

8- निष्प्रयोज्य सामान की नीलामी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जहां जैसी स्थिति में की जायेगी।

9- नीलामी की धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 कटौती की जायेगी जो कि प्रतिभागी द्वारा जमा की जानी होगी।

10- बोली स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास सुरक्षित होगा।

11- बोलीदाता फर्म को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ई–अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 दिनांक 23 मार्च, 2016 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अथवा अन्य राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत E-Waste recycler के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

12- इच्छुक प्रतिभागी दिनांक 14 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर, 2024 तक किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित होकर सामान का निरीक्षण/अवलोकन कर सकते हैं।

13- नीलामी की विस्तृत शर्तें, आवेदन पत्र, घोषणा पत्र एवं सामान की सूची आदि विभागीय वेवसाईट shooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिन्हे Down Load कर अथवा किसी भी कार्य दिवस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता हैं

14- ई–अपशिष्ट के सम्बन्ध में जो भी प्रचलित नियम हैं उनका अनुपालन किये जाने का समस्त उत्तरादायित्व सम्बन्धित E-waste recycler के रूप में पंजीकृत फर्म का रहेगा इसके लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड एवं उनके द्वारा गठित नीलामी समिति का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

15- नीलामी करने वाले अधिकारी उच्चतम या किसी भी प्रकार की बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। नीलामी का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा बोली लगाने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों व गलत इरादे से बोली लगाने वाले व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

16- नीलामी करने वाले अधिकारी द्वारा किसी भी बोली की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने के अधीन होगी।

17- बोली लगाने वाले व्यक्तियों को उनकी बोली पर ही रखा जाएगा चाहे वह उच्चतम् हो अथवा नहीं।

18- किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक की उसका सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म द्वारा लिखित वैद्यानिक प्राधिकार–पत्र न दिया गया हो।

19- सामग्री को वहीं विक्रय किया जायेगा जहां पर वह उपलब्ध है। सभी सामग्री को नीलाम किये गये स्थान से ही बोलीदाता को उठाना होगा। सामग्री पर किसी प्रकार की वारंटी या गांरटी निहित नही होगी। किसी शिकायत पर भी विचार नहीं किया जायेगा। सामग्री को इस धारणा से विक्रय किया जायेगा कि बोलीदाताओं ने सामग्री का निरीक्षण कर लिया है और जानते है कि वें क्या खरीद रहे है।

20- नीलामी करने वाले अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए विज्ञापित सामग्री की नीलामी को निरस्त किये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

21- जिन बोली दाताओं की बोली स्वीकार नहीं होती है उनके द्वारा निदेशालय में बयाना धनराशि के रूप में जमा रू0 5000 (रू. पांच हजार मात्र) के बैंक ड्राफ्ट को बोली समाप्त होने पर, उन्हें अवमुक्त (Released) कर वापस कर दिया जायेगा तथा उच्चतम बोलीदाता की बयाना धनराशि को सामान की

बोली हेतु लगाई गयी सम्पूर्ण धनराशि जमा करने तथा सामान उठाने पर सम्बन्धित को वापस कर दिया जायेगा।

22- यदि कोई सफल बोलीदाता उपरोक्त निर्दिष्ट समय के भीतर शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी रद्द कर दी जायेगी और उसके द्वारा इस हेतु जमा की गयी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद अगले उच्चतम बोलीदाता को पेशकश की जाएगी।

23- नीलाम की गयी सामग्री का अन्तिम भुगतान प्राप्त होने पर बोलीदाता को सामग्री को उठाने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। बोलीदाता से धनराशि की पावती रसीद प्राप्त की जायेगी।

24- सामग्री को सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की उपस्थिति में हटाया/उठाया जायेगा।

25- सम्पूर्ण भुगतान करने पर सम्बन्धित बोलीदाता को तत्काल उसी दिन सभी सामग्रियों को हटाना होगा।

26- यदि सक्षम प्राधिकारी या सरकार जैसा भी मामला हो स्वीकृत बोली को स्वीकार नहीं करता है तो सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गयी राशि उसे वापस कर दी जाएगी और उसके पक्ष में नीलामी को शून्य माना जाएगा।

27- किसी भी विवाद के मामले मे मुकदमा दायर का अधिकार क्षेत्र वह स्थान होगा जहां नीलामी आयोजित की जायेगी।

28- उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, चरित्र पत्र आदि को समय पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध कराने तथा नियमो का पालन करने पर प्रतिभागियों को नीलामी में बोली लगाने की अनुमति होगी।

29- नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु निर्धारित आवेदन व संलग्नकों सहित प्राप्त होने पर ही प्रतिभागी को एक टोकन निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर वह नीलामी में प्रतिभाग कर सकेगा। नीलामी हेतु निर्धारित मूल्य पर बोली रू0 500.00 (रूपया पांच सौ मात्र) के गुणांक में स्वीकार की जायेगी।

(लीलाधर व्यास)
08/01/24
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशालय–माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

नीलामी हेतु आवेदन पत्र

1. नीलामी हेतु बोली दाता का नाम ....

2. पता..

फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण..मोबाईल न0..............................

3. फर्म का नाम ....

4. पता ....

5. फोन नम्बर कार्यालय ....मो0 ....

6. फर्म का रजिस्ट्रेशन न0...(प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)

7. बैंक खाता विवरण..

8. फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर...(प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)

9. पैनकार्ड का विवरण...

10. उत्तराखण्ड अथवा अन्य राज्य के प्रदूषण बोर्ड द्वारा अधिकत E-Waste recycler का प्रमाण–पत्र संलग्न करें व वैद्यता की तिथि अंकित करें..

11. जमानत धनराशि का विवरण...

12. आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की संख्या एवं उनका विवरण...

....

....

....

घोषणा–पत्र

मै...पुत्र श्री ....

(व्यक्ति/फर्म) सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य है तथा कोई भी सूचना जो नीलामी की शर्तो के अनुरूप दी जानी आवश्यक थी, छिपाई नहीं गई है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा। नीलामी में भाग लेने के लिए मै किसी भी प्रकार की अयोग्यता नहीं रखता हूँ। मेरे द्वारा नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें पढ़ ली गयी हैं और मैं इन नियम व शर्तों को स्वीकार करता हूँ। साथ ही मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं/मेरी फर्म को किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

नाम..

फर्म का नाम..

मालिक/प्रबन्धक के हस्ताक्षर दिनांक सहित फर्म की मोहर

निदेशक– माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में डा0 मुकुल कुमार सती, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में कार्यालय भवन में इधर उधर पड़ी अनुपयोगी/खराब (कम्प्यूटर, प्रिण्टर, यू0पी0एस0, फोटोकॉपियर मशीन, ए0सी0, जनरेटर, फर्नीचर आदि) सामग्री के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गयी। जिसमें समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत रही :–

1. डा0 मुकुल कुमार सती, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. श्री रमेश सिंह तोमर, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. श्री पंकज शर्मा, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. श्री संत राम पांचाल, वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. श्री मदन सिंह बिष्ट, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, लेखा स्थापना।
6. Shri Arun Bisht, Senior Executive (e-Services), ITDA, Dehradun.
7. श्री जगदीश चन्द्र, सहायक लेखाकार, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. श्री गणेश सेमवाल, वरिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
9. श्री अंशुमान खण्डूरी, कनिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(2) सर्व प्रथम समिति के सदस्यों द्वारा कार्यालय कक्षों का निरीक्षण किया गया और जो सामग्री बेकार एवं अनुपयोगी रूप से अनुभागों एवं निदेशालय परिसर में इधर–उधर पड़ी पड़ी थी उसको एक स्थान पर एकत्रित करवाया गया।

(3) समिति द्वारा उक्त सामग्री का एक–एक कर परीक्षण कर किया गया और देखा गया कि सामग्री की स्थिति बहुत खराब है और उपयोग में लाये जाने योग्य नहीं है तो इसी के दृष्टिगत समिति द्वारा सामग्री के निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिसका पूर्ण विवरण निम्वत् है:–

(क) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की अनुपयोगी सामग्री।

क्र0 संख्या	समग्री का नाम	सामग्री की मात्रा।
1	Cooler	05
2	Room Heater	11
3	Fax Machine	01
4	Aqua guard Revive	01
5	Aqua guard Pure Chill	01
6	Photocopier Machine	03
7	U.P.S	34
8	Air Condition	03
9	Officer Chair	13
10	Officer Table	01
11	Office Chair	13
12	Office Table	04
13	Stool	04
14	Plastic Chair	08
15	Computer Table	04

16	Computer Chair	17
17	Computer	08
18	Printer	13
19	Laptop	01
20	Mobile Phone	05
21	Cycle	01
22	Projector L.C.D	01
23	Mike Set	02
24	Fawada	02
25	Jug Steel	02
26	Gainti	02
27	Khurpi	02
28	Belcha	01
29	Sabbel	02
30	Kainchi	01
31	Cutter	01
32	Aaree	01
33	Sprinkle	01
34	Kudal	04
35	Tasle	04
36	Talwar	01
37	Generator Big Size 750 KVA	01
37	Generator Small Size 7.5 KVA	01
38	Scanner	01

(ख) अनुपयोगी सामग्री जो अन्य कार्यालयों (एम.आई.एस./आई.सी.टी. आदि) से प्राप्त हुयी है।

क्र0 संख्या	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा।
1	Cooler	01
2	Room Heater	06
3	Photocopier Machine	01
4	U.P.S	06
5	Air Condition	01
6	Officer Chair	06
7	Officer Table	01
8	Office Chair	20
9	Printer	03
10	Office Table	01
11	Computer Table	02

12	Computer Chair	05
13	Computer	08
14	Generator Big Size	01
15	Tender Box	01
16	Cooler	01
17	Electric Changeover	02
18	Bookshelf	01

(4) समिति में आई0टी0डी0ए0 से नामित प्रतिनिधि द्वारा भी सामग्री की सूची में सम्मिलित इलेक्ट्रोनिक एवं इलेक्ट्रीकल सामग्री का विस्तृत रूप से तकनीकी परीक्षण किया गया तथा सामग्री की स्थिति बहुत खराब होने और उपयोग में न लाये जाने योग्य के दृष्टिगत सामग्री के निष्प्रयोज्य किये जाने की संस्तुति की गयी साथ ही समिति द्वारा भी इलेक्ट्रोनिक एवं इलेक्ट्रीकल्स सामग्री का डिस्पोजल ई–वेस्ट मैनेजमेण्ट नियम–2016 में वर्णित प्राविधानानुसार पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण बोर्ड देहरादून व देश के अन्य किसी भी राज्य में पंजीकृत ई–वेस्ट **Dismantler** या **Recycler** के माध्यम से करवाये जाने की संस्तुति की गयी है।

(5) कार्यालय में अनुपयोगी दोनों जनरेटर के बिल वाउचर निदेशालय में उपलब्ध नहीं हैं जिससे जनरेटर का पुस्तकीय मूल्य निर्धारित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ऐसी स्थिति में समिति द्वारा अनुमानित नीलामी दर जनरेटर (**Generators Weight**) के वजन, जनरेटरों की वर्तमान स्थिति एवं अन्य माध्यमों से बोली लगाये जाने की संस्तुति की गयी है।

(6) समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गयी कि जो सामग्री बहुत पुरानी है और अन्य किसी कार्यालय (**एम.आई.एस./आई.सी.टी./महिला सामाख्या आदि**) के अन्यत्र भवनों में शिफ्ट हो जाने के कारण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ही पड़ी हुयी है तथा जिसके बिल वाउचर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध नहीं है उसकी नीलामी अतिरिक्त सूची तैयार कर, जो जहां पर है और जैसी स्थिति में है के आधार पर की जायेगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरः–

(अंशुमान खण्डूरी)
कनिष्ठ सहायक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

(जगदीश चन्द्र)
सहायक लेखाकार
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

(Arun Bisht)
Senior Executive (e-Service)
ITDA, Dehradun

(गणेश सेमवाल)
वरिष्ठ सहायक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

(मदन सिंह बिष्ट)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

(संत राम पांचाल)
वित्त अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

(पंकज शर्मा)
उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

(रमेश तोमर)
उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

24.10.24

(डा0 मुकुल कुमार सती)
अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

निदेशक–माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में डा0 मुकुल कुमार सती, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में कार्यालय भवन में इधर उधर पड़ी अनुपयोगी/खराब (कम्प्यूटर, प्रिण्टर, यू0पी0एस0, फोटोकॉपियर मशीन, ए0सी0, फर्नीचर आदि) सामग्री के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सामग्री के विस्तृत परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा सामान के निष्प्रयोज्य की संस्तुति के उपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसार सामग्री का विधिवत् पुस्तकीय मुल्य (**Depreciation Value**) निम्नवत् निर्धारित किया गया है:–

अनुलग्नक क (A)

अनुपयोगी वस्तुओं के नीलामी एवं खारिज की कार्यवाही का प्रारूप

अभिलेखागार (स्टोर) में अभिलेखों के रख रखाव की पंजिका का प्रारूप

संस्था का नाम– निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

सामाग्री का विवरण।								**The Depreciation Value for Items Under this category may be calculated**						
क्र0 सं0	सामाग्री का नाम।	Qty	क्रय मूल्य	कुल मूल्य	बिल संख्या	दिनांक	स्टॉक पृष्ट संख्या	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	कुल योग
1	कम्प्यूटर (HCL)	6	32970	197820	9000	25.03.2010	12	148365	111274	83455	62591	46944	35208	**3525**
2	कम्प्यूटर (H.P.)	1	31850	31850	2114	01.10.2012	4	23888	17916	13437	10078	7558	5669	**1009**
3	कम्प्यूटर (H.P.)	1	31850	31850	2117	01.10.2012	4	23888	17916	13437	10078	7558	5669	**1009**
4	प्रिण्टर	1	46790	46790	2159	01.03.2005	33	35093	26319	19740	14805	11103	8328	**198**
5	प्रिण्टर	1	16640	16640	78	30.04.2004	34	12480	9360	7020	5265	3949	2962	**53**
6	प्रिण्टर	1	9308	9308	2073	26.07.2005	34	6981	5236	3927	2945	2209	1657	**39**
7	प्रिण्टर	1	9308	9308	0	05.05.2005	34	6981	5236	3927	2945	2209	1657	**39**
8	प्रिण्टर	2	9308	18616	0	29.06.2005	34	13962	10472	7854	5890	4418	3313	**79**
9	प्रिण्टर	3	13900	41700	0	20.02.2006	34	31275	23456	17592	13194	9896	7422	**235**
10	प्रिण्टर	1	5200	5200	4091	25.03.2008	76	3900	2925	2194	1645	1234	925	**52**
11	प्रिण्टर	5	8200	41000	50989	21.07.2006	80	30750	23063	17297	12973	9729	7297	**231**
12	स्केनर	1	2600	2600	2747	20.03.2007	87	1950	1463	1097	823	617	463	**20**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

13	फैक्स मशीन	1	16625	16625	2580	02.12.2016	24	12469	9352	7014	5260	3945	2959	**1664**
14	यू0पी0एस0	7	5800	40600	DDN/ 062	24.03.2010	73	30450	22838	17128	12846	9635	7226	**723**
15	यू0पी0एस	1 5	4039	60585	1142	23.03.2011	74	45439	34079	25559	19169	14377	10783	**1439**
16	यू0पी0एस	2	6138	12276	2397	25.10.2012	74	9207	6905	5179	3884	2913	2185	**389**
17	यू0पी0एस	2	2250	4500	795	16.07.2013	74	3375	2531	1898	1424	1068	801	**190**
18	यू0पी0एस	3	2190	6570	1098	27.03.2014	92	4928	3696	2772	2079	1559	1169	**370**
19	यू0पी0एस	1	4800	4800	1133	05.08.2014	92	3600	2700	2025	1519	1139	854	**270**
20	यू0पी0एस	4	2280	9120	329	04.03.2016	94	6840	5130	3848	2886	2164	1623	**913**
21	रूम हीटर	3	2150	6450	18	28.12.2017	112	4838	3628	2721	2041	1531	1148	**861**
22	रूम हीटर	6	1949	11694	36	20.01.2020	114	8771	6578	4933	3700			**3700**
23	रूम हीटर	2	1949	3898	37	06.02.2020	114	2924	2193	1644	1233			**1233**
24	Aqua guard Rivive	1	40529	40529	1252	20.03.2015	44	30397	22798	17098	12824	9618	7213	**3043**
25	Aqua guard Pure Chill	1	87000	87000	1303	28.11.2015		65250	48938	36703	27527	20646	15484	**6532**
26	मोबाईल फोन	1	2820	2820	597	01.11.2008	48	2115	1586	1190	892	669	502	**28**
27	मोबाईल फोन	1	8000	8000	0	25.01.2008	104	6000	4500	3375	2531	1898	1424	**80**
28	मोबाईल फोन	1	8000	8000	177	21.04.2008	104	6000	4500	3375	2531	1898	1424	**80**
29	मोबाईल फोन	1	17999	17999	2996	11.09.2018	49	13499	10124	7593	5695	4271	3203	**3203**
30	मोबाईल फोन	1	19067	19067	GSE/6 385	11.08.2021	141	14300	10725	8044				**8044**
31	ए0सी0 (A.C)	1	39207	39207	15	13.06.2016	81	29405	22054	16540	12405	9304	6978	**3925**
32	ए0सी0(A.C.)	1	41485	41485	109	27.03.2017		31114	23335	17501	13126	9845	7383	**5538**
33	ए0सी0 (A.C)	1	40000	40000	0		0	30000	22500	16875	12656	9492	7119	**2253**
34	Laftop	1	44000	44000	DV/SEM 1214	23.3.2011	40	33000	24750	18563	13922	10441	7831	**1045**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

35	फोटोस्टेट मशीन (Toshiba eStudio)	2	41485	82970	2020	30.09.2013	88	62228	46671	35003	26252	19689	14767	**3504**
36	फोटोस्टेट मशीन (Kyosera)	1	45677	45677	3725	11.2-2019	90	34258	25693	19270	14452	10839		**10839**
37	कूलर	2	7921	15841	3054	13.3-2012	8	14257	12831	11548	10393	9354	8419	**4474**
38	कूलर	3	6200	18600	12	20.6.2016	10	16740	15066	13559	12203	10983	9885	**8007**
39	ऑफिसर कुर्सी	4	2980	11920	288	06.1.2011	1	10728	9655	8690	7821	7039	6335	**3030**
40	ऑफिसर कुर्सी	1	6850	6850	305	04.2.2011	1	6165	5549	4994	4494	4045	3640	**1741**
41	ऑफिसर कुर्सी	1	5950	5950	6459	21.07.2011	1	5355	4820	4338	3904	3513	3162	**1512**
42	ऑफिसर कुर्सी	5	3225	16125	413	21.02.2012	1	14513	13061	11755	10580	9522	8569	**4554**
43	ऑफिसर कुर्सी	2	5400	10800	1023	19.02.2013	2	9720	8748	7873	7086	6377	5740	**3389**
44	कार्यालय कुर्सी	3	989	2967	3	22.02.2006	5	2670	2403	2163	1947	1752	1577	**445**
45	कार्यालय कुर्सी	10	2500	25000	283	24.01.2007	5	22500	20250	18225	16403	14762	13286	**4169**
46	ऑफिसर मेज	1	5600	5600	140	25.03.2003	3	5040	4536	4082	3674	3307	2976	**613**
47	कार्यालय मेज	4	1328	5312	103	22.10.2001	8	4781	4303	3872	3485	3137	2823	**471**
48	Stool	4	450	1800	1459	04.03.2004	11	1620	1458	1312	1181	1063	957	**219**
49	प्लास्टिक कुर्सी	8	253	2024	576	29.03.2008	101	1822	1639	1475	1328	1195	1076	**375**
50	कम्प्यूटर कुर्सी	7	2744	19208	1476	21.03.2005	29	17287	15558	14003	12602	11342	10208	**2595**
51	कम्प्यूटर कुर्सी	8	3938	31504	1462	21.03.2005	29	28354	25518	22966	20670	18603	16743	**4256**
52	कम्प्यूटर कुर्सी	2	880	1760	98	13.02.2006	29	1584	1426	1283	1155	1039	935	**264**
53	कम्प्यूटर मेज	4	1375	5500	98 / 99	13.02.2006	28	4950	4455	4010	3609	3248	2923	**826**
54	साईकिल	1	3188	3188	350	05.11.2019	4	2869	2582	2324	2092	1882		**1882**

55	प्रोजेक्टर एल0सी0डी0	1	189000	189000	1496	24.03.2005	94	141750	106313	79734	59801	44851	33638	**799**
56	माईक सेट	1	11405	11405	29739	28.03.2008	100	10265	9238	8314	7483	6735	6061	**2113**
57	माईक सेट	1	14997	14997	33384	24.03.2009	113	13497	12148	10933	9840	8856	7970	**3088**
58	फावड़ा	2	75	150	569	25.08.2005	64	512	461	415	373	336	302	**77**
59	स्टील जग	2	84	168	28	31.03.2001	27	151	136	122	110	99	89	**15**
60	गैंती	2	20	40	0	02.04.2010	94	36	32	29	26	24	21	**9**
61	खुरपी	2	60	120	0	23.02.2010	86	108	97	87	79	71	64	**27**
62	बेल्चा	1	79	79	569	25.08.2005	64	71	64	58	52	47	42	**11**
63	सब्बल	2	380	760	0	02.04.2010	88	684	616	554	499	449	404	**174**
64	कैची	1	350	350	149	02.04.2010	82	315	284	255	230	207	186	**80**
65	कटर	1	190	190	149	23.02.2010	76	171	154	139	125	112	101	**43**
66	आरी	1	130	130	149	23.02.2010	78	117	105	95	85	77	69	**30**
67	फुहारा	1	190	190	149	23.02.2010	80	171	154	139	125	112	101	**43**
68	कुदाल	2	160	320	10	23.02.2010	84	288	259	233	210	189	170	**73**
69	कुदाल	2	60	120	10	23.02.2010	84	108	97	87	79	71	64	**27**
70	तसले	4	70	280	0	02.04.2010	90	252	227	204	184	165	149	**64**
71	तलवार	1	60	60	0	02.04.2010	92	54	49	44	39	35	32	**14**
72	जनरेटर 750 KVA	1	500000	500000	0			450000	405000	364500	328050	295245	265721	**83386**
73	जनरेटर 7.5 KVA	1	180000	180000	0			162000	145800	131220	98415	73811	55358	**5542**
सामग्री का कुल पुस्तकीय मूल्य (Depreciation Value for Items Under this Category may be calculated)														**204796**

(2) सर्व प्रथम समिति के सदस्यों द्वारा कार्यालय कक्षों का निरीक्षण किया गया और जो सामग्री अनुपयोगी रूप से अनुभागों एवं निदेशालय परिसर में इधर–उधर पड़ी थी उसको एक स्थान पर एकत्रित करवाया गया तथा संभार पंजीका के बिल वाउचर के अनुसार सामग्री का उपरोक्तानुसार पुस्तकीय मूल्य (Depreciation Value for Items Under this Category may be calculated) निर्धारित किया गया।

(3) समिति द्वारा उक्त सामग्री का एक–एक कर परीक्षण किया गया तथा सामान अत्यन्त खराब स्थिति में होने व उपयोग में न लाये जाने योग्य के दृष्टिगत समिति के सदस्यों द्वारा सामग्री के निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(4) समिति में आई0टी0डी0ए0 से नामित प्रतिनिधि द्वारा सामग्री का परीक्षण करने के उपरान्त नीलामी सूची में सम्मिलित इलेक्ट्रोनिक सामग्री का डिस्पोजल ई–वेस्ट मैनेजमेण्ट नियम–2016 में वर्णित प्राविधानानुसार पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण बोर्ड देहरादून व देश के अन्य किसी भी राज्य में पंजीकृत ई–वेस्ट Dismantler या Recycler के माध्यम से करवाये जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी है।

(5) कार्यालय में अनुपयोगी दोनों जनरेटर के बिल वाउचर निदेशालय में उपलब्ध नहीं हैं जिससे जनरेटर का पुस्तकीय मूल्य निर्धारित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ऐसी स्थिति में समिति द्वारा अनुमानित नीलामी दर (Generators Weight) वजन एवं अन्य माध्यमों से बोली लगाये जाने की संस्तुति की गयी है।

(7) समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गयी कि जो सामग्री बहुत पुरानी है और अन्य किसी कार्यालय **(एम.आई.एस., आई.सी.टी., महिला सामाख्या आदि)** के अन्यत्र भवनों में शिफ्ट हो जाने के कारण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ही पड़ी हुयी है तथा जिसके बिल वाउचर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध नहीं है उसकी नीलामी अतिरिक्त सूची तैयार कर, जो जहां पर है और जैसी स्थिति में है के आधार पर की जायेगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरः–

(अंशुमान खण्डूरी) कनिष्ठ सहायक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड	**(जगदीश चन्द्र)** सहायक लेखाकार माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड	(Arun Bisht) Senior Executive (e-Service) ITDA, Dehradun
(गणेश सेमवाल) वरिष्ठ सहायक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड	**(मदन सिंह बिष्ट)** मुख्य प्रशासनिक अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड	**(संत राम पांचाल)** वित्त अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
(पंकज शर्मा) उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड	**(रमेश तोमर)** उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड	**(डा0 मुकुल कुमार सती)** 04.10.24 अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

05/10/24
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून